

# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/ 885

दिनांक- 14.12.2021

समस्त रजिस्ट्रार, प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी,  
वित्तपोषित विश्वविद्यालय/ निजी विश्वविद्यालय,  
राजकीय/निजी महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय- कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के आवेदनों की जाँच एवं फॉरवर्ड (अग्रेषित) बाबत।

संदर्भ- विभाग का आदेश क्रमांक-2454 दिनांक-26.02.2021, 2542 दिनांक 31.03.2021, 573 दिनांक 30.09.2021, 595 दिनांक 06.10.2021, 742 दिनांक 10.11.2021 एवं 748 दिनांक 15.11.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के आवेदनों के लिए विज्ञापित जारी की गई थी जिनकी अन्तिम तिथि निम्नानुसार रखी गई थी-

क्र. सं.	छात्रवृत्ति का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ की तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना			
	1. उच्च शिक्षा विभाग 12वीं उत्तीर्ण (सभी वर्गों की छात्राओं हेतु)	2020-21	01.03.2021	20.10.2021
	2. अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	2020-21	01.03.2021	20.10.2021
	3. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)	2020-21	01.03.2021	20.10.2021
	4. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग)	2020-21	01.03.2021	20.10.2021
	5. अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्पसंख्यक मामलात विभाग)	2020-21	01.03.2021	20.10.2021
	6. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)	2020-21	07.10.2021	25.11.2021

उक्त योजना के आवेदनों की जाँच हेतु निम्नानुसार तिथियों के अनुसार पोर्टल बन्द किया जा रहा है-

विद्यार्थियों को आक्षेप पूर्ण हेतु	दिनांक-15.12.2021 से 19.12.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक
महाविद्यालयों द्वारा जाँच उपरान्त नोडल महाविद्यालय को आवेदन ऑनलाईन फॉरवर्ड हेतु	दिनांक-15.12.2021 से 22.12.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक
नोडल महाविद्यालयों द्वारा जाँच उपरान्त संबंधित मुख्यालय को आवेदन फॉरवर्ड किये जाने हेतु	दिनांक-15.12.2021 से 27.12.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक

उक्त योजना के आवेदनों की जाँच हेतु निम्नानुसार तिथियों के अनुसार पोर्टल बन्द किया जा रहा है।

अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)

विद्यार्थियों को आक्षेप पूर्ण हेतु	दिनांक-15.12.2021 से 19.12.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जाँच उपरान्त संबंधित मुख्यालय (टीएडी) को ऑनलाईन आवेदन फॉरवर्ड किये जाने हेतु	दिनांक-15.12.2021 से 27.12.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक

यदि किसी महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र विद्यार्थी किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर करते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी, जिला शिक्षा अधिकारी की होगी।

(हरिसिंह मीना)

वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23(80)(2)/लेखा/निकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/ 886-891

दिनांक-14.12.2021

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर
4. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शिक्षा संकुल परिसर, मदनसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
6. प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार